



दिनांक: 11.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदम में 04 वांछित अभियुक्त (दो मुकदमों में) गिरफ्तार व 02 वांछित बाल (एक मुकदमे में) अपचारियों को संरक्षण में लिया गया

घटना का विवरण:-

- दिनांक 08.08.2026 को वादी इनाम पुत्र सिराजुद्दीन निवासी हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त लालू व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र सरफराज के साथ चाकू से हमला कर घायल कर देना व गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 406/26 धारा 333/115(2)/118(1)/352/351(3) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा विवेचना से अभियुक्तगण 1. मौ0 फरीद उर्फ मुन्ना 2. कदीम उर्फ लालू 3. आशिक उर्फ समी, 4. शौकीन आदि का नाम प्रकाश में आया।
- दिनांक 09.08.2026 को वादी मुक्कमिल पुत्र सलीम निवासी नाजिम कालोनी पुराना कलसिया रोड़ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. लुकमान उर्फ मुन्ना, 2. शौकीन पुत्र युसुफ, 3. मुन्ना उर्फ फरीद, 4. समीर 5. दानिश, 6. अख्तरा व अन्य अज्ञात आदि द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के मौहल्ले के शोएब व शहनवाज को चाकू, लाठी-डंडो व अन्य धारदार हथियारों से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर देने व गाली-गलौच करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 408/26 धारा 190/191(2)/191(3)/352/109(1) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान उपरोक्त दोनों मुकदमों में 04 वांछित अभियुक्तगण 1. मौ0 फरीद उर्फ मुन्ना पुत्र इनाम उर्फ नाम्मा निवासी नाजिम कालोनी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर, 2. कदीम उर्फ लालू पुत्र जमील निवासी भंगी कालोनी वक्कार डेरी के पास थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर, 3. आशिक उर्फ समी पुत्र अब्दुल हसन निवासी मदरसे वाली गली नं0-13 के पास फरमान मस्जिद थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर व 4. शौकीन पुत्र युसुफ मलिक निवासी मुस्तफाबाद कालोनी मोमीन मस्जिद के पास थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर को जुल्म गढ़ की पुलिस से गिरफ्तार किया गया तथा मु0अ0सं0 408/2026 उपरोक्त में वांछित 02 बाल अपचारियों (एक मुकदमे में वांछित) को जुल्म गढ़ की पुलिस से संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण/बाल अपचारियों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय/मा0 किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- मौ0 फरीद उर्फ मुन्ना पुत्र इनाम उर्फ नाम्मा निवासी नाजिम कालोनी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
- कदीम उर्फ लालू पुत्र जमील निवासी भंगी कालोनी वक्कार डेरी के पास थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर,

3. आशिक उर्फ समी पुत्र अब्दुल हसन निवासी मदरसे वाली गली नं0-13 के पास फरमान मस्जिद थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. शौकीन पुत्र युसुफ मलिक निवासी मुस्तफाबाद कालोनी मोमीन मस्जिद के पास थाना कोतवाली मण्डी

संरक्षण में लिया गया

➤ 02 बाल अपचारी

अभियुक्त फरीद उर्फ मुन्ना उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1) मु0अ0सं0 300/2024 धारा 296,351(2),351(3),74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर,
- 2) मु0अ0स0 0051/2026 अन्तर्गत धारा 109(1), 351(3),352 बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर,
- 3) मु0अ0स0 0227/2026 अन्तर्गत धारा 351(3),352 बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर
- 4) मु0अ0स0 0279/2026 अन्तर्गत धारा 118(1), 351(3) बीएनएस थाना मण्डी सहारनपुर।

संरक्षण में लेने/गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर (सादे वस्त्रो में)
3. है0का0 424 गौरव त्यागी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर (सादे वस्त्रो में)
4. है0का0 09 महबूब अली थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. है0का0 848 कपिल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
6. का0 1570 रवि कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
7. का0 1761 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 11.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत

03 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.08.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **03 अभियुक्तगण** 1. आकाश पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम मरोडगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर, 2. अर्जुन पुत्र मामचन्द निवासी मौहल्ला महजनान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर व 3. कार्तिक पुत्र राजपाल निवासी मौहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत आने जाने वाले लोगो के साथ आमदा फसाद करते हुए घण्टाघर के पास अम्बाला रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आकाश पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम मरोडगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. अर्जुन पुत्र मामचन्द निवासी मौहल्ला महजनान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
3. कार्तिक पुत्र राजपाल निवासी मौहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राकेश थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 738 विनोद कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



दिनांक:-11-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 अभियुक्त वारण्टी राजवीर पुत्र पिरवी सिंह निवासी शिव मन्दिर के पास ग्राम नन्दनपुर थाना नांगल सहारनपुर** को संबंधित वाद संख्या 1681/26 धारा 138 एनआई एक्ट चालानी थाना नांगल में ग्राम नन्दनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

राजवीर पुत्र पिरवी सिंह निवासी शिव मन्दिर के पास ग्राम नन्दनपुर थाना नांगल सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 संजय कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. का0 811 दीपक कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर



दिनांक: 11.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना - महिला थाना द्वारा 01 NBW वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में तथा महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कुसुम भाटी राणा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.08.2026 को महिला थाना पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 NBW वारन्टी अभियुक्त कपिल पुत्र सुरेश निवासी नियामतपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0- 1997/23 व मु0अ0स0- 133/22 धारा- 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट (सिविल जज(जू0डि0)/ एफ0टी0सी0 सहारनपुर) को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

कपिल पुत्र सुरेश निवासी नियामतपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री जुगल किशोर शर्मा महिला थाना सहारनपुर।
2. का0 1080 राहुल महिला थाना सहारनपुर।



दिनांक: 11-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा ट्रैक्टर से बैटरी चोरी का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया ट्रैक्टर का बैटरी बरामद

अवगत कराना है कि 11.08.26 को वादी श्री जीशान पुत्र वहीद निवासी निजामाबाद उर्फ इस्लामनगर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी के ट्रैक्टर का बैटरी सीरियल नं0 25A15181000562 रंग सफेद, कम्पनी ZEOUTE GOLD चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 315/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **02** वांछित अभियुक्तगण **1. तालिब पुत्र जुलफान निवासी ग्राम उग्राहू थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर व 2. शाहबाज पुत्र महताब निवासी ग्राम उग्राहू थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर** को थाना क्षेत्र फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गया ट्रैक्टर का बैटरी बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. तालिब पुत्र जुलफान निवासी ग्राम उग्राहू थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. शाहबाज पुत्र महताब निवासी ग्राम उग्राहू थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 ट्रैक्टर का बैटरी

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 315/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुबोध शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 231 रोहित चौधरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. का0 1323 कुलदीप थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक 11-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा **गैंगस्टर एक्ट** के मुकदमें में **अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड** की सुनाई गई **सजा** –

अवगत कराना है, कि दिनांक 23.11.2009 को वादी श्री सुभाष शर्मा थाना प्रभारी सरसावा जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1- प्रदीप पुत्र सुखीराम निवासी पैगा थाना इलावा जिला जिन्द (हरियाणा), 2-संजय पुत्र सतपाल निवासी ऊचा गाँव थाना कैराना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0सं0-422/2009 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1114/2026 पर माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक **11.08.2026** को अभियुक्त प्रदीप पुत्र सुखीराम निवासी पैगा थाना इलावा जिला जिन्द (हरियाणा) को मु0अ0सं0-422/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए **03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

नोट:-अभियुक्त संजय पुत्र सतपाल निवासी ऊचा गाँव थाना कैराना मुजफ्फरनगर की पत्रावली पृथक की गयी है।

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह चौहान एवं (ए0डी0जी0सी0) श्री मान सिंह।

विवेचक- श्री एच0यू0 खान तत्कालीन प्रभारी थाना तीतरों।

पैरोकार- का0 सलमान थाना सरसावा सहारनपुर।